# क़वाइद जमाअती इन्तेख़ाबात

(जमाअती निर्वाचन की नियमावली)


**प्रकाशक**

नज़ारत उलिया सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान

2019

# QAWAID JAMA'ATI INTEKHABAT
(in Hindi)

By
Nazarat Ulia
Sadr Anjuman Ahmadiyya Qadian

# क़वाइद जमाअती इन्तेख़ाबात

## (जमाअती निर्वाचन की नियमावली)

**प्रकाशक**

नज़ारत उलिया सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान

2019

| | |
|---|---|
| नाम पुस्तक | : क़वाइद जमाअती इन्तेख़ाबात |
| अनुवादक | : डॉ० अन्सार अहमद |
| प्रकाशन वर्ष | : प्रथम संस्करण- 2013 |
| | : द्वितीय संस्करण- 2016 |
| | : वर्तमान संस्करण- 2019 |
| संख्या | : 2000 |
| प्रकाशक | : नज़ारत उलिया, सदर अंजुमन अहमदिया<br>क़ादियान, 143516<br>ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब) |
| मुद्रक | : फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस,<br>क़ादियान, 143516<br>ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब) |

# प्राक्कथन

जैसा कि आपको ज्ञात है कि मौजूदा उहदेदारों का निर्धारित समय 31 मार्च 2019 को समाप्त हो जाएगा। इसलिए 31 मार्च से पहले-पहले चन्दों की पूरी अदायगी करते हुए हिसाब साफ़ करके नए निर्वाचन करवा कर भिजवाए जाएं ताकि अप्रैल माह से मंज़ूरी के लिए भिजवाने की कार्यवाही की जा सके और फिर उसके अनुसार नए उहदेदारों के चार्ज लेन-देन की कार्यवाही पूरी हो सके। इस निर्वाचन (इन्तिख़ाब) की टर्म अप्रैल 2019 से मार्च 2022 तक होगी।

नाज़िर आला
सदर अंजुमन अहमदिया
क़ादियान

# लोकल अंजुमनों (जमाअतों) के बारे में नियम तथा निर्देश

याद रखना चाहिए कि जिस जगह तीन या उन से अधिक चन्दा देने वाले अहमदी मौजूद हों वहां नियमित रूप से जमाअत का क़ायम किया जाना आवश्यक है।

अगर नामांकन दस से कम हो तब भी एक सदर जमाअत तथा एक सेक्रेटरी माल अवश्य नियुक्त होना चाहिए। फिर जमाअत की संख्या के अनुसार दूसरे सेक्रेटरी नियुक्त किए जाने चाहिएं।

ये उहदेदार निर्वाचन द्वारा नियुक्त होने चाहिएं, लेकिन जहां कम नामांकन (तज्नीद) हो वहां के लिए सदर तथा सेक्रेटरी माल को मनोनीत करने (नामज़दगी) की सिफ़ारिश भी की जा सकती है।

## उहदेदारों के निर्वाचन के बारे में सदर अंजुमन अहमदिया के नियम

नीचे लोकल जमाअतों के बारे में सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान के नियम लिखे जा रहे हैं :-

**नियम (क़ाइदः) नं. (290)** जमाअत अहमदिया की व्यवस्था (निज़ाम) के तहत हर ऐसी जगह जहां जमाअत अहमदिया के कुछ सदस्य मौजूद हों नाज़िर आला की अनुमति से एक लोकल अंजुमन क़ायम का जा सकेगी जिसके सदस्य लोकल जमाअत के वयस्क (बालिग़) लोग होंगे।

नियम नं. (291) ये लोकल अंजुमनें जो सिलसिले के कामों को चलाने के लिए भिन्न-भिन्न स्थानों पर क़ायम की जाएंगी, सदर अंजुमन अहमदिया के विभागों (सीग़: जात) के नाज़िरों तथा अफ़सरों की निगरानी और निर्देशों के अधीन होंगी। ऐसी अंजुमनों को सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ़ से इस बात की पुष्टि (तस्दीक़) में एक प्रमाण पत्र (सर्टिफ़िकेट) प्रदान किया जाएगा कि वे सदर अंजुमन अहमदिया की शाख़ा हैं।

**नियम नं. (292)** हर लोकल अंजुमन का कर्त्तव्य होगा कि लोकल जमाअत के सभी सदस्यों (पुरुष, स्त्री, वयस्क, अवयस्क (बालिग़, नाबालिग़) के नाम निर्धारित फार्म पर एक रजिस्टर में लिखें (नज़ारत उलिया की तरफ़ से नामांकन (तज्नीद) का जो प्रोफ़ार्मा भिजवाया गया है उसको पूरा करके लोकल जमाअत में रखा जाए और एक नक़ल नज़ारत उलिया में भिजवाई जाए।

**नियम नं. (293)** जो मामले जमाअत के प्रबंध या अमारत के कर्त्तव्यों के साथ संबंध रखते हों उनमें लोकल जमाअत के लोगों को लोकल अमीर/सदर का आज्ञापालन करना आवश्यक होगा।

**नियम नं. (296)** जायज़ होगा कि एक से अधिक जगहों की लोकल अंजुमनों को मिला कर क्षेत्रों के अनुसार (हलक़ावार) या ज़िला की या इलाक़े या सूबे या मुल्क की अंजुमनों की व्यवस्था (निज़ाम) क़ायम की जाए। इस स्थिति में उनमें से हर व्यवस्था अपने से ऊपर वाली व्यवस्था के अधीन होगी और ये सारी व्यवस्थाएं केन्द्रीय (मर्कज़ी) व्यवस्था के अधीन होंगी।

**नियम नं. (299)** हर लोकल अंजुमन के लिए आवश्यक होगा

कि अपने काम के विभिन्न विभागों (सीग़: जात) की कारगुज़ारी के संबंध में मर्कज़ी संबंधित विभागों में सालाना रिपोर्ट भेजे। तथा इसके अलावा साल के दौरान भी मर्कज़ की मांग के अनुसार रिपोर्ट भेजती रहे। नज़ारत उलिया की तरफ़ से जो कारगुज़ारी की माहवार रिपोर्ट का फ़ार्म है उसे नियमित रूप से भिजवाना आवश्यक है।

**नियम नं. (300)** हर लोकल अंजुमन से उम्मीद की जाती है कि वह अपनी जगह पर एक मस्जिद तथा एक लाइब्रेरी का प्रबंध करे। मस्जिद न होने की स्थिति में लोकल जमाअत का कर्त्तव्य होगा कि किसी ऐसी जगह का प्रबंध करे जहाँ जमाअत के लोग नमाज़ बाजमाअत, जुमा इत्यादि तथा अन्य जल्सों के लिए एकत्र हो सकें।

**नियम नं. (303)** हर लोकल अंजुमन का कर्त्तव्य होगा कि मर्कज़ से जब कोई नाज़िर दौरे पर किसी जगह जाए तो ख़लीफ़तुल मसीह का प्रतिनिधि (नुमायन्द:) होने की हैसियत से उचित सम्मान के साथ आवश्यक प्रबंध करे।

## निर्वाचन (इंतिख़ाब)

**नियम नं. (304)** हर लोकल अंजुमन के लिए आवश्यक होगा कि सदर अंजुमन अहमदिया के विभिन्न सीग़ों (विभागों) के उद्देश्यों के लिए स्थानीय तौर पर विभिन्न उहदेदार नियुक्त करे। ये उहदेदार मर्कज़ के निर्देशों के अनुसार अपने-अपने विभाग (सीग़े) से संबंधित अमीर या सदर के अधीन काम करेंगे और समस्त आवश्यक और उचित रिकार्ड रखेंगे। ये उहदेदार स्थानीय अंजुमनों के सामान्य जल्से में निर्वाचित होंगे। जायज़ होगा कि काम के प्रकार की दृष्टि से एक

से अधिक उहदे एक ही व्यक्ति को दिए जाएं। (यह तरीका केवल मजबूरी में ही अपनाया जाएगा)

**नियम नं. (306)** लोकल अंजुमन अपने काम में आसानी के लिए अपने अधीन इन्तिज़ाम करने वाली मज्लिस क़ायम करेगी जिसके सदस्य (मेम्बर) लोकल उहदेदार होंगे। इस मज्लिस का नाम मज्लिस आमिलः (कार्यकारिणी सभा) होगा। इस मज्लिस का लीडर लोकर अमीर/सदर होगा।

**नियम नं. (307)** लोकल अंजुमन की मज्लिस आमिलः के निम्नलिखित मेम्बर होंगे -

अमीर/सदर, नायब अमीर/नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद, एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद (नौ मुबाइयीन की तर्बियत) एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद (तालीमुल क़ुर्आन वक़्फ़ आरज़ी), सेक्रेटरी दावत इलल्लाह, सेक्रेटरी वसाया, सेक्रेटरी माल, नायब सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी तस्नीफ़-व-इशाअत, एडीशनल सेक्रेटरी तस्नीफ़-व-इशाअत (समई-व-बसरी), सेक्रेटरी ज़िराअत, सेक्रेटरी सनअत-व-तिजारत (उद्योग तथा व्यापार), सेक्रेटरी ज़ियाफ़त, सेक्रेटरी जायदाद-व-इम्लाक (सम्पत्ति), इमामुस्सलात, क़ाज़ी, आडीटर, अमीन, मुहासिब, सेक्रेटरी तहरीक जदीद, सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद, एडीशनल सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद (नौ मुबाइयीन), सेक्रेटरी वक़्फ़ नौ, सेक्रेटरी रिश्ता नाता, ज़ईम / ज़ईम आला मज्लिस अन्सारुल्लाह, क़ाइद मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया, मुरब्बी सिलसिला।

नोट नं. 1- किसी एक लोकल अंजुमन में अगर ज़ैली तंज़ीमों के ज़ईम और ज़ईम आला अन्सारुल्लाह और ख़ुद्दामुल अहमदिया के

क़ाइद दो या दो से अधिक हों तो उसके लिए संबंधित ज़ैली तंज़ीम का सदर लोकल मज्लिस आमिलः के लिए एक प्रतिनिधि (नुमाइन्दा) मनोनीत करेगा।

**नोट नं. 2-** अगर लोकल अंजुमन में मुरब्बी सिलसिला दो या दो से अधिक हों तो नाज़िर आला मज्लिस आमिलः के लिए एक प्रतिनिधि (नुमाइन्दा) नियुक्त करेगा।

**नोट नं. 3-** अमीर / सदर को अधिकार होगा कि वह किसी को भी मशवरा करने के लिए मज्लिस आमिलः के इज्लास में बुलाए परन्तु वह वोट नहीं दे सकता।

**नोट नं. 4-** सेक्रेटरी वासाया का मूसी होना ज़रूरी है।

**नोट नं. 5-** हर टर्म के आरम्भ में समस्त ज़िलई अमीर, लोकल अमीर और सदराने जमाअत के नायबीन ज़रूर नियुक्त करने हैं ताकि जमाअती कामों में और अधिक बेहतरी पैदा हो सके, यह नायबीन कम से कम एक और आवश्यकता अनुसार दो भी नियुक्त किए जा सकते हैं। (बहवाला WTT- 3497/30-08-18)

**नियम नं. (308)** उमरा तथा दूसरे उहदेदारों का निर्वाचन तीन वर्ष के लिए हुआ करेगा लेकिन जायज़ होगा कि ख़ास हालतों में मर्क़ज़ की इजाज़त से बीच में कोई परिवर्तन (तब्दीली) किया जाए। निर्वाचन या नियुक्ति शेष रहे समय के लिए होगी।

**नियम नं. (308-A)** सय्यदना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्त्रिहिल अज़ीज़ के आदेश के अनुसार:

"आइन्दा सदरान और लोकल अमीर दो टर्म से अधिक नियुक्त

नहीं हो सकते लेकिन यह नियम शेष उहदेदारान और ज़िलई अमीरों पर लागू नहीं होगा।" (बहवाला WTT- 1033/15-03-2017)

अतः जो सदर और लोकल अमीर लगातार 2013 से सदर और लोकल अमीर के तौर पर ख़िदमत कर रहे हैं 2019 के चुनाव में उनके नाम प्रस्तुत नहीं हो सकेंगे।

**नियम नं. (309)** जमाअत के हितों (मस्लिहतों) की बुनियाद पर निर्धारित तीन वर्षीय अवधि के दौरान भी लोकल अमीर या अमीर हल्क़ः या अमीर ज़िला या अमीर इलाक़ाः या अमीर सूबा या अमीर मुल्क को बिना कारण बताए अपने उहदे से अलग किया जा सकेगा तथा इसकी मंज़ूरी ख़लीफ़तुल मसीह से लेना आवश्यक होगी। लेकिन लोकल जमाअत या लोगों को अपने मशवरों इत्यादि में उसे अलग करने के प्रश्न को उठाने की अनुमति (इजाज़त) न होगी।

**नियम नं. (310)-** सदर अंजुमन अहमदिया के नाज़िर, नायब नाज़िर तथा सीग़े के अफ़सरों, इसी तरह तहरीक जदीद के वकीलों, नायब वकीलों तथा सीग़े के अफ़सरों और वक़्फ़े जदीद के नाज़िम, नायब नाज़िम किसी लोकल उहदे के लिए निर्वाचित नहीं हो सकते। इस तरह क़ाज़ी भी किसी और उहदे के लिए निर्वाचित नहीं हो सकता।

**नियम नं. (311)** (अ) लोकल सदर का निर्वाचन लोकल जमाअत की बहुसंख्या के वोट से होगा।

(ब) कोरम कुल वोट देने वालों का आधा होगा लेकिन अगर पहले इज्लास में नियमित नोटिस के बावजूद कोरम पूरा न हो तो दूसरे इज्लास का कोरम 1/2 होगा।

**नियम नं. (313)-** कोरम का निर्धारण (तअय्युन) बजट में शामिल कुल सदस्यों की संख्या (तादाद) में से स्त्रियों तथा स्टूडेण्ट्स की संख्या को घटाने के बाद बाक़ी रहे चन्दा देने वालों बक़ायादारों को शामिल करते हुए की कुल संख्या से होगा।

**नियम नं. (314)** उमरा के निर्वाचन के समय हर उस सदस्य को जो क़वाइद के तहत निर्वाचन में हिस्सा ले सकता हो इस बात के लिए नियमित लिखित नोटिस 15 दिन पहले होना चाहिए कि अमुक तारीख़ को अमीर का निर्वाचन होगा और उसके लिए अमुक वक़्त और अमुक जगह निर्धारित की गई है और उस नोटिस पर हर सदस्य को इत्तिला (सूचना) देने के हस्ताक्षर (दस्तख़त) करवाए जाएं। निर्वाचन के इज्लास में किसी सदस्य का बिना उचित बहाना तथा वक़्त से पहले बिना इत्तिला ग़ैर हाज़िरी क़ाबिले गिरफ़्त ग़लती होगी। इसलिए अगर कोई सदस्य उचित कारण के बिना इस लिखित नोटिस के मिलने के बाद ग़ैर हाज़िर रहेगा तो उसकी रिपोर्ट नज़ारत उलिया में भिजवाई जाएगी।

**नियम नं. (317)** हर उहदे की अहमियत (महत्व) तथा कर्त्तव्यों (फ़राइज़) की स्थिति के अनुसार उसके लिए उहदेदार का निर्वाचन होना चाहिए और दोस्तों को वोट देते हुए योग्यता के प्रश्न को हर स्थिति में मुक़द्दम (प्राथमिक) रखना चाहिए। केवल नाम के तौर पर फ़ुर्सत न होने वाले, सुस्त या ग़ैर मुख़्लिस या अयोग्य (ना अहल) या किसी रंग में बुरा नमूना रखने वाले व्यक्ति को निर्वाचित नहीं करना चाहिए।

**नियम नं. (318)-** निर्वाचन के वक़्त इस बात का ध्यान रखा

जाए कि एक से अधिक उहदे एक ही व्यक्ति के सुपुर्द सिवाए ख़ास मजबूरी के न किए जाएं ताकि काम की अधिकता के कारण जमाअत के कामों में कोई हर्ज (हानि) और दोष न आए तथा अधिक से अधिक दोस्त काम करने की तर्बियत (प्रशिक्षण) प्राप्त कर सकें।

**नियम नं. (319)-** केवल निम्नलिखित उहदेदारों की लिस्ट मंज़ूरी के लिए नज़ारत उलिया आनी चाहिए / अमीर / सदर, नायब अमीर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद, एडीशनल सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद, (नौ मुबाइयीन की तर्बियत), तालीमुल क़ुर्आन वक़्फ़ आरिज़ी, सेक्रेटरी दावत इलल्लाह, सेक्रेटरी तालीम, सेक्रेटरी उमूरे आम्मः, सेक्रेटरी उमूरे ख़ारिजः, सेक्रेटरी वसाया, सेक्रेटरी माल, नायब सेक्रेटरी माल, सेक्रेटरी तस्नीफ़-व-इशाअत (समई-व-बसरी), सेक्रेटरी ज़िराअत (खेती-बाड़ी), सेक्रेटरी ज़ियाफ़त (मेहमान नवाज़ी), सेक्रेटरी जायदाद तथा इम्लाक (सम्पत्ति) सेक्रेटरी रिश्ता नाता, इमामुस्सलात, आडीटर, अमीन, मुहासिब।

**नोट नं. 1-** हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह राबेअ रहिमहुल्लाहु तआला ने सेक्रेट्री रिश्ता नाता के चुनाव के तरीक़े को समाप्त करके उमरा ए किराम को अधिकार दे दिया था कि वे इस काम के लिए उचित लोगों के नाम मर्कज़ में प्रस्तुत करके मंज़ूरी लिया करें।

**नोट नं. 2-** निम्नलिखित उहदेदारों की मंज़ूरी संबंधित इदारों (विभागों) से ली जाए। क़ाज़ी, सेक्रेटरी तहरीक जदीद, सेक्रेटरी वक़्फ़ जदीद (नौ मुबाइयीन), सेक्रेटरी वक़्फ़ नौ, अन्सारुल्लाह तथा ख़ुद्दामुल अहमदिया के उहदेदार।

**नियम नं. (321)** चन्दा लेने वालों के लिए लोकल मज्लिस

आमिलः की मंज़ूरी काफ़ी है। हाँ उनके संबंध में नज़ारत बैतुलमाल (आमद) में सूचना की रिपोर्ट आनी चाहिए ताकि अगर कोई अनुचित नियुक्ति हो तो उसका सुधार हो सके।

**नियम नं. (323)** हर लोकल अंजुमन जिसके चन्दा देने वालों की संख्या चालीस या चालीस से अधिक हो तो लोकल लोगों के झगड़ों को निपटाने के लिए एक क़ाज़ी नुयुक्त किया जाना आवश्यक होगा। अमीर या सदर कोई और उहदेदार क़ाज़ी के कर्त्तव्य निभाने का अधिकार नहीं रखेगा।

**नोट नं. 1 -** आवश्यकतानुसार एक से अधिक क़ाज़ी भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

**नोट नं. 2 -** सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह खामिस ने भारत की जमाअतों तथा ज़िलों में क़ाज़ी नियुक्त किए जाने के बारे में एक कमेटी नियुक्त की है जो क़ाज़ियों के नाम प्रस्तावित (तज्वीज़) करके हुज़ूर अनवर से मंज़ूरी प्राप्त करती है।

**नोट नं. 3 -** आवश्यकतानुसार एक से अधिक इमामुस्सलात भी नियुक्त किए जा सकते हैं।

**नियम नं. (324)** अगर किसी अमीर या किसी और दूसरे लोकल उहदेदार के निर्वाचन के बारे में यह शिकायत प्राप्त होगी और यह शिकायत छानबीन पर सही पाई गई कि उसने किसी के हक़ (पक्ष) में प्रोपेगण्डा किया है तो उस निर्वाचन को निरस्त कर दिया जाएगा और प्रोपेगण्डा करने वालों से सख़्ती से पूछताछ की जाएगी और दोबारा निर्वाचन के समय उन्हें इज्लास में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी।

**नियम नं. (325)** प्रोपेगण्डा में हर ऐसी बात शामिल होगी जिसमें जमाअत के सदस्यों या किसी सदस्य पर किसी प्रकार से किसी विशेष व्यक्ति के हक़ में या उसके विरुद्ध वोट पैदा करने की कोशिश की जाए। यद्यपि सदर इज्लास की इजाज़त से निर्वाचन की मज्लिस में प्रस्तावित लोगों के हक़ में उचित शब्दों में संक्षिप्त भाषण दिया जा सकेगा लेकिन व्यक्ति के विरुद्ध भाषण देने की इजाज़त न होगी।

**नियम नं. (326)** निर्वाचन के वक़्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि किसी उहदे के लिए न कोई अपना नाम प्रस्तुत कर सकता है और न ही अपने आप को वोट दे सकता है। अगर यह सिद्ध हो जाए कि निर्वाचन के वक़्त किसी ने अपने आप को वोट दिया है या नाम पेश किया है तो वह उस उहदे के लिए निर्वाचित नहीं समझा जाएगा। अगर उस वक़्त कोई और उहदा उसके पास हो तो उस से भी हटा दिया जाएगा।

**नियम नं. (327)** कोई व्यक्ति जो अपनी उम्र की दृष्टि से मज्लिस अन्सारुल्लाह या मज्लिस ख़ुद्दामुल अहमदिया की तज्नीद में शामिल नहीं किसी उहदे पर नियुक्त नहीं किया जाएगा।

**नियम नं. (328)** निर्वाचन में उपस्थित सदस्यों का वोट देना अनिवार्य होगा। किसी के भी हक़ में वोट न देने की इजाज़त न होगी।

**नियम नं. (329)** निम्नलिखित लोगों को निर्वाचन के इज्लास में हिस्सा लेने का हक़ नहीं होगा।

(अ) ऐसा व्यक्ति जिस के ज़िम्मे नियम नं. 341 के अनुसार मर्क़ज़ की मंज़ूरी के बिना बक़ाया चला आ रहा हो और वह उसे अदा न कर रहा हो।

(ब) स्त्रियां (मस्तूरात)

(ज) 18 साल से कम उम्र के बच्चे

(द) जो लोग जमाअत की तरफ़ से दण्ड के अंतर्गत हों

(ह) ऐसे लोग जो अपना मर्क़ज़ का चन्दा लोकल की व्यवस्था को तोड़ कर अलग तौर पर मर्क़ज़ में भिजवाने पर अड़े हों।

(व) ऐसे बालिग़ (वयस्क) स्टूडेण्ट जिन के ख़र्च की ज़िम्मेदारी अपने वालिदैन (माता-पिता) या सरपरस्तों (अभिभावकों) पर हो।

**नियम नं. (330)** निम्नलिखित लोगों को बतौर उहदेदार निर्वाचित नहीं किया जाएगा-

(अ) नियम नं. 329 के अनुसार जो वोट देने के पात्र (अहल) न हों।

(ब) लाज़मी चन्दों के बक़ाया की अदायगी न करने की इजाज़त प्राप्त न करने वाले।

(ज) वसीयत के नियम नं. 72 के अनुसार जिस मूसी (वसीयतकर्ता) की वसीयत सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ़ से निरस्त कर दी जाए।

(द) चन्दों की रक़म निजी ख़र्च में लाने वाले।

नोट :- यदि कोई व्यक्ति दोबारा किसी भी प्रकार की माली सज़ा की वजह से उहदे से हटाया गया हो तो फिर वह कभी भी उह्देदार नहीं बन सकता।

**नियम नं. (341)** चन्दा देने वालों से मुराद वे लोग हैं जो अपना चन्दा नियमित रूप से अदा करते हैं और जिन के ज़िम्मे चन्दा आम और चन्दा हिस्सा आमद का छः माह से अधिक समय का

बक़ाया न हो।

**नियम नं. (341 A)** जो व्यक्ति नासिर हो या खादिम हो यदि अपनी अपनी ज़ैली तंज़ीमों के चंदो का बक़ायादार हो, तो वह न तो ज़ैली तंज़ीम का उहदेदार बन सकता है और न ही जमाअत का उहदेदार बन सकता है। (बहवाला WTT- 2591/02-03-16)

अत: हिन्दुस्तान की जमाअतों में 2019 में होने वाले निर्वाचन में भी जमाअत के लाज़मी चंदों और चंदा जलसा सालाना के अतिरिक्त ज़ैली तंज़ीमों (खुद्दामुल अहमदिया व अन्सारुल्लाह) की मज्लिस का चंदा 6 महीने से अधिक और इसी प्रकार अपनी ज़ैली तंज़ीम का चंदा इज्तेमा का चंदा एक साल से अधिक बक़ायादार होने की अवस्था में वह कोई जमाअती उहदेदार नहीं बन सकेगा। तमाम जमाअतों के सदर और अमीर साहिबान इन नियमों को मद्देनज़र रख कर ही सेक्रेट्री माल से वोटर लिस्ट तयार करवाएं।

**नियम नं. (342)** अगर किसी बक़ायादार ने अपनी बक़ाया रक़म की अदायगी के बारे में संबंधित इरादे (विभाग) से मुहलत प्राप्त कर ली हो तो वह इस शर्त से उस वक़्त तक अलग होगा जब तक कि उसने मुहलत ले रखी हो।

**नियम नं. (344)** लाज़िमी चन्दे के ऐसे बक़ायादार जिन्होंने बक़ाया की माफ़ी प्राप्त की है पांच साल तक नियमित रूप से लाज़िमी चन्दे अदा किए उहदेदार निर्वाचित हो सकेंगे।

**नियम नं. (345)** इजाज़त लेकर शरह (दर) से कम चन्दा अदा करने वाले लोग वोट देने के हक़दार (अधिकारी) होंगे, लेकिन उहदों पर उनकी नियुक्ति या निर्वाचन मर्क़ज़ की इजाज़त से होगा।

## उहदेदारों की मंज़ूरी

**नियम नं. (346)** लोकल उहदेदार जिन की नियुक्ति मर्क़ज़ से संबंधित है उनको उहदे से हटाना भी मर्क़ज़ से संबद्ध होगा, यद्यपि अमीर उन्हें उहदे से हटाने की सिफ़ारिश कर सकता है। अमीर को यह भी अधिकार होगा कि वह किसी भी उहदेदार को मर्क़ज़ के फैसला आने तक निलंबित (मुअत्तल) कर सके।

**नियम नं. (347)** नाज़िर आला लोकल उहदेदारों की नियुक्ति लोकल जमाअत के निर्वाचन और लोकल अमीर के मशवरे के साथ करेगा। नाज़िर आला को अधिकार होगा कि किसी भी कारण से निर्वाचन की मंज़ूरी न दे या किसी उहदेदार को उसके उहदे से बिना कारण बताए अलग कर दे और नए निर्वाचन का निर्देश दे। इस्तिस्नाई हालतों (अपवाद की परिस्थितियों) में नाज़िर आला लोकल उहदेदारों को मनोनीत (नामज़द) भी कर सकेगा।

आवश्यक नोट :- सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह खामिस ने क़ादियान के मर्क़ज़ में एक "मर्कज़ी निर्वाचन कमेटी" नियुक्त की है जिस का सदर नाज़िर आला है। सदर तथा सेक्रेटरियों के निर्वाचन की मंज़ूरी इस कमेटी द्वारा दी जाती है।

**नियम नं. (350)** अगर किसी जगह किसी उहदे पर मजबूरी से किसी बक़ायादार को नियुक्त करना पड़े तो उस उहदेदार से यह लिखित अहद लिया जाएगा कि वह अपने बक़ाया को उचित निश्चित क़िस्तों मे नियमित रूप से अदा करता रहेगा और उस क़िस्त की मंज़ूरी लोकल अमीर के माध्यम (वास्ते से) से या संबंधित विभाग के सदर से प्राप्त करना आवश्यक होगी। लेकिन अगर कोई बक़ायादार

(सिवाय मूसी बक़ीयादार के कि उस का बक़ाया माफ़ नहीं किया जा सकता) अपना बक़ाया बिलकुल अदा करने से मा'ज़ूर (असमर्थ) है तो अपनी मजबूरियों को उसी वास्ते (माध्यम) से विवरण सहित (तफ़्सील से) पेश करके ख़लीफ़तुल मसीह से माफ़ी लेगा।

**नियम नं. (354)** नए उहदेदारों के निर्वाचन की लिस्टें उनके पूरे पतों के साथ नज़ारत में आनी आवश्यक होंगी। लेकिन जब तक नए उहदेदारों की मंज़ूरी की सूचना नज़ारत उलिया की तरफ़ से न हो जाए उस वक़्त तक पिछले उहदेदार ही काम करते रहेंगे।

## मुतफ़र्रिक (विविध) :-

**नियम नं. (355)** नए उहदेदारों की मंज़ूरी होने पर पिछले उहदेदारों को काम का चार्ज तुरन्त पूरी तफ़्सील और पूरे रिकॉर्ड के साथ नए उहदेदारों के सुपुर्द कर देना आवश्यक होगा और नए उहदेदारों को चार्ज लेने के बाद दो सप्ताह के अन्दर-अन्दर पिछले उहदेदारों से पिछले साल की रिपोर्ट लेकर संबंधित मर्कज़ के आफ़िसों को भिजवा दें वरना यह ज़िम्मेदारी बाद में उन पर ही पड़ेगी।

**नियम नं. (363)** जमाअतों में ख़त-व-किताबत (पत्राचार) सेक्रेटरियों के नाम की जा सकती है। इस स्थिति में उसकी नक़ल अनिवार्य तौर पर अमीर / सदर को भी जानी चाहिए।

**नियम नं. (364)** लोकल अमीर / सदर के लिए आवश्यक होगा कि अपने स्थान से बाहर जाने से पहले नाज़िर आला से पेशगी इजाज़त प्राप्त करे और अपने क़ायम मक़ाम (स्थानापन्न) की नियुक्ति कराए।

## क़ायम मुक़ाम की तक़र्रुरी के बारे में ज़रूरी हिदायत-

हिन्दुस्तान की जमाअतों में क़ायम मुक़ाम अमीर ज़िला, अमीर मुक़ामी और सदर जमाअत की तक़र्रुरी के लिए हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ ने निम्नलिखित निर्देश दिए हैं-

(1) **अमीर ज़िला और अमीर मुक़ामी** ने "देश के अन्दर" एक सप्ताह के लिए यदि छुट्टी पर जाने की दरख्वास्त दें तो नाज़िर साहिब आला उनका क़ायम मुक़ाम नियुक्त कर सकते हैं। हाँ एक सप्ताह से अधिक समय के लिए यदि देश के अंदर ही छुट्टी पर जाना हो तो उसके लिए ख़लीफ ए वक़्त से अनुमति लेनी होगी जबकि इन दोनों के देश से बाहर छुट्टी पर जाने की अवस्था में पहले की तरह ख़लीफ ए वक़्त से ही क़ायम मुक़ाम की अनुमति लेनी होगी।

(2) "**सदर जमाअत**" के देश के अन्दर या देश से बाहर छुट्टी पर जाने की अवस्था में क़ायम मुक़ाम की अनुमति नाज़िर साहिब आला देंगे, इसके लिए सम्बंधित सदर की आमिल के कुछ सीनियर मेम्बरों के नाम नाज़िर आला के पास आने चाहिएं।

**नोट-** शुमाली हिन्द की जमाअतों के लिए नाज़िर साहिब आला और जुनूबी हिन्द की जमाअतों के लिए एडिशनल नाज़िर साहिब आला जुनूबी हिन्द कारवाई करेंगे।

(बहवाला WTT- 3714/21-4-16)

# अमारत का निज़ाम

सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह पंचम ने हिन्दुस्तान की जमाअतों में अमारत की व्यवस्था (निज़ाम) क़ायम करने के लिए यह आदेश जारी किया है कि-

"भविष्य के लिए 40 की बजाए 50 चन्दा देने वालों की संख्या अमारत के निर्वाचन के लिए कम से कम मैआर (मापदण्ड) होगा। बशर्ते कि बाक़ी ब्यौरा (कवायफ़) अर्थात् डाक्टर, टीचर तथा वकीलों इत्यादि की उचित संख्या भी वे पूरी करते हों तथा उसकी मंज़ूरी ख़लीफ़तुल मसीह से प्राप्त की गई हो।

(हवाला पत्र QND 0314/06-02-2008)

अतः इस निर्देश के अनुसार कुछ जमाअतों के क़वायफ़ और रिपोर्ट पेश करने पर हुज़ूर अन्वर ने कुछ अतिरिक्त जमाअतों में अमारत की व्यवस्था क़ायम करने की मंज़ूरी प्रदान की थी। अतः 2010 ई. में उन जमाअतों में अमारतों का निर्वाचन हुआ था।

## अमारत का निर्वाचन, मज्लिस-ए-निर्वाचन के द्वारा होगा

**नियम नं. (331)** अमीर, सेक्रेटरीज़, मुहासिब, आडीटर का निर्वाचन बिना माध्यम के न होगा बल्कि एक मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के द्वारा होगा, जिस के मेंम्बरों को चन्दा देने वाले लोग नियमानुसार निर्वाचित करेंगे।

चन्दा देने वालों की संख्या 50 से 100 तक हो तो मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के सदस्यों (मेम्बरों) की संख्या 11 होगी। इसके बाद हर पच्चीस (25) की अतिरिक्त संख्या के लिए एक मेम्बर लिया जाएगा, अर्थात् अगर चन्दा देने वालों की संख्या 200 हो तो 15 मेम्बर मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के लिए निर्वाचित किए जाएंगे। और ये सब मेम्बर 60 वर्ष से कम उम्र के होंगे।

60 साल से अधिक उम्र के चन्दा देने वाले जिनकी बैअत पर कम से कम 10 साल का समय गुज़र चुका हो तथा उनकी संख्या 60 साल से कम उम्र वाले मेम्बरों की संख्या के बराबर हो तो निर्वाचन के बिना मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के मेम्बर बन जाएंगे। अधिक होने की हालत में निर्वाचन के द्वारा उतने ही मेम्बर निर्वाचित किये जाएंगे जितने 60 साल से कम उम्र वाले मेम्बर 15 बनते हों और 60 साल से अधिक उम्र के चन्दा देने वालों की संख्या 20 या 25 हो तो उनमें से भी 15 मेम्बरों का ही निर्वाचन किया जाएगा तथा इस निर्वाचन में सभी चन्दा देने वाले हिस्सा लेंगे अर्थात 60 साल से कम और 60 साल से अधिक उम्र के लोगों के नाम अलग-अलग पेश

होंगे लेकिन निर्वाचन में वोट देते वक्त सब उपस्थित (हाज़िर) मेम्बर्स इज्लास में हिस्सा लेंगे।

नोट 1 - वोट देने और उहदे पर निर्वाचित होने के योग्य चन्दा देने वालों के लिए यही शर्तें होंगी जो सदारत के निर्वाचन के क़वाइद में लिखी जा चुकी हैं (अर्थात नियम न. 329, और नियम न. 330 और नियम न. 341 से 345 तक)

नोट 2 - मुक़ामी अमारतों के अधीन मुक़ामी हल्कों के निर्वाचन नज़ारत उलिया की निगरानी में होंगे और नाज़िर आला, सदर और उसकी आमिला के मेम्बरों की मंज़ूरी देंगे।

**नियम न. (333)** मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के मेम्बरों की संख्या का अनुमान बजट में दर्ज संख्या से होगा।

**नियम न. (334)** मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब तीन साल के लिए होगी और उसके मेम्बरों की निर्धारित संख्या का चन्दा देने वालों की संख्या की औसत से पूरा रखना लोकल जमाअत के लिए आवश्यक होगा।

मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के मेम्बरों की मंज़ूरी का मामला सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान के माध्यम से हुज़ूर अन्वर की ख़िदमत में पेश होगा और मंज़ूरी के बाद अमीर और दूसरे उह्देदारों का निर्वाचन किया जाएगा।

**नियम न. (336)** मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब की जो रिपोर्ट लिस्ट के साथ निर्वाचित मेम्बर्स मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब नज़ारत उलिया को मंज़ूरी के लिए भिजवाई जाए उस पर मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के इज्लास में हाज़िर निर्वाचित मेम्बरों के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान तथा उनके

पूरे पते लिखने आवश्यक होंगे।

**नियम न. (337)** मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब का सदर मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के इज्लास में हाज़िर मेम्बरों में से बहुसंख्यक वोटों (कसरते राय) से नियुक्त किया जाएगा, सिवाए इसके कि इस उद्देश्य (मक्सद) के लिए नाज़िर आला की तरफ से कोई प्रतिनिधि (नुमाइन्दाः) मनोनीत कर दिया जाए।

**नियम न. (338)** अगर मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब का कोई मेंबर मौत हो जाने, निवास स्थान बदल जाने के कारण मजबूरी या किसी और कारण से इस मज्लिस का मेम्बर न रहे तो उसकी सूचना तुरन्त नाज़िर आला को देनी आवश्यक होगी (और फिर नाज़िर आला की इजाज़त से उसके बदले में मेम्बर निर्वाचित करके मंज़ूरी प्राप्त करनी होगी)

**नियम न. (340)** उमरा के निर्वाचन में निम्नलिखित बातें विशेष तौर पर ध्यान में रखी जाएं-

(अ) कम से कम चार नाम पेश हों

(ब) जो उमरा मुक़ामी लगातार दो टर्म में निर्वाचित हो चुके हों तीसरी टर्म के लिए उनका नाम पेश नहीं होगा

(बहवाला WTT- 1033/15-03-2017) (नियम न. 308-A)

(ज) हर मेम्बर को तीन वोट देने का अधिकार होगा

(द) हर एक नाम के प्राप्त वोट तफ्सील के साथ लिखे जाएं।

(र) हर एक की बैअत का सन, तालीमी योग्यता, उम्र, पेशा, जमाअत की पिछली खिदमात (सेवाओं) को लिखा जाए।

**नियम न. (348)** उमरा, नायब उमरा के निर्वाचन या नियुक्ति

की मंज़ूरी नज़ारत उलिया (सदर अंजुमन अहमदिया क़ादियान के माध्यम से) ख़लीफ़तुल मसीह से प्राप्त करेगी।

(अर्थात् मज्लिस-ए-इन्तिख़ाब के द्वारा निर्वाचित होने वाले अमीर और नायब अमीर की मंज़ूरी ख़लीफ़तुल मसीह प्रदान करेंगे। बाक़ी मज्लिस आमिलः के उहदेदारों की मंज़ूरी मर्कज़ी इन्तेखाब कमेटी की तरफ़ से दी जाएगी। (इसी तरह जमाअत के सदर साहिबान और उनकी मज्लिस आमिलः की मंज़ूरी भी मर्कज़ी इन्तेखाब कमेटी की तरफ़ से दी जाएगी)

**नियम नं. (352)** निर्वाचन की लिस्ट को मर्कज़ में भिजवाते हुए इस बात को वज़ाहत (स्पष्टीकरण) के साथ बयान करना चाहिए कि नियमों के अनुसार इस अंजुमन के कितने लोग वोट देने के योग्य हैं और उन में से इज्लास के वक़्त कितने हाज़िर (उपस्थित) थे।

**नियम नं. (353)** इन्तिख़ाब (निर्वाचन) की लिस्ट पर इज्लास के सदर (अध्यक्ष) के अलावा दो ऐसे दोस्तों के हस्ताक्षर भी अनिवार्य होंगे जिन के नाम किसी उहदे के लिए पेश (प्रस्तुत) न हुए हों परन्तु निर्वाचन की कार्यवाही में मौजूद रहे हों।

**नियम नं. (371)** सभी लोकल उहदेदार और उमरा अमीर मक़ामी क़ादियान को शामिल करते हुए जिसे हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह कभी अपनी ग़ैर मौजूदगी (अनुपस्थिति) में नियुक्त करें, अपने-अपने कार्य क्षेत्र (हल्क़-ए-कार) में सदर अंजुमन अहमदिया के नाज़िरों के निर्देश और निगरानी के अधीन होंगे और हर नाज़िर को हर लोकल अंजुमन के सभी रिकार्डों को देखने और पड़ताल करने का अधिकार प्राप्त होगा और यह भी अधिकार होगा कि ज़रूरत के वक़्त किसी

रिकार्ड को क़ादियान या किसी और जगह मंगवाकर पड़ताल करे।

**नियम नं. (373)** लोकल जमाअत के लोग अगर लोकल अमीर के किसी फ़ैसले या हुक्म या कार्यवाही इत्यादि के विरुद्ध कोई शिकायत रखते हों तो उन्हें अधिकार प्राप्त होगा कि मर्कज़ में अपनी अपील पेश करें और मर्कज़ का फैसला लोकल अमीर और जमाअत के लोकल मेम्बर्स के लिए मानना आवश्यक होगा। लोकल अमीर के फ़ैसले या हुक्म के विरुद्ध जो अपील मर्कज़ में की जाएगी वह लोकल अमीर के माध्यम से की जाएगी और लोकल अमीर का कर्त्तव्य होगा कि वह ऐसी अपील को सात दिन के अन्दर-अन्दर अपनी राय के साथ मर्कज़ में भेज दे और जब तक अपील का फ़ैसला न हो अपील के अन्तर्गत हुक्म पर अमल करना अनिवार्य समझा जाएगा। परन्तु मर्कज़ को अधिकार होगा कि आख़िरी फ़ैसले से पहले भी अपील के अन्तर्गत हुक्म पर अमल करने को रोक दे।

**नियम नं. (374) (अ)** चूंकि लोकल अमीर लोकल जमाअत का आख़िरी ज़िम्मेदार व्यक्ति है इसलिए उसे यह अधिकार प्राप्त होगा कि राय में मतभेद होने की स्थिति में जिस वक़्त किसी बात को जमाअत के हित (फ़ायदे) में हानिप्रद तथा अमन और प्रबंध में विघ्न (मुख़िल) समझे तो अपने अधिकार से बहुसंख्या की राय को रद्द कर दे, लेकिन ऐसी स्थिति में लोकल अमीर का यह कर्त्तव्य होगा कि वह नियमित रूप से एक रजिस्टर में जो जमाअत की मिल्क़ियत समझा जाएगा अपने मतभेद (इख़्तिलाफ़) के कारण लिखे या अगर उन कारणों का रजिस्टर में लिखना जमाअत के हित के विरुद्ध समझे तो कम से कम यह नोट करे कि मैं ऐसे कारणों पर जिनका इस

जगह लिखना जमाअत के हित के विरुद्ध है बहुसंख्या की राय के विरुद्ध फैसला करता हूँ।

(ब) इस आख़िरी बयान की गई बात में लोकल अमीर का यह कर्त्तव्य होगा कि अपने मतभेद के कारण लिख कर गोपनीय तौर पर मर्क़ज़ में भेजे। ऐसी रिपोर्ट एक सप्ताह के अन्दर-अन्दर भेजनी आवश्यक होगी। अमीर का कर्त्तव्य होगा कि वह रिपोर्ट करते ही अपनी मज्लिस आमिलः को लिखित तौर पर सूचना दे दे कि उसने ऐसी रिपोर्ट कर दी है।

**नियम नं. (376)** हर लोकल निज़ाम (व्यवस्था) या हल्क़ों या ज़िला या इलाक़ा या सूबा या मुल्क के क्रम से व्यवस्था को मर्कज़ की व्यवस्था के हर फ़ैसले के विरुद्ध ख़लीफ़तुल मसीह के सामने अपील का हक़ होगा।

**नियम नं. (377)** इन बातों में जो जमाअत के सामूहिक हित को प्रभावित कर सकती हो लोकल अमीर / सदर को ज़ैली तंज़ीमों को हुक़्म देने का अधिकार होगा जो लिखित होना चाहिए और उन उपरोक्त तंज़ीमों को अधिकार होगा कि अगर वे इस हुक़्म को उचित न समझती हों तो अपनी मर्क़ज़ी मज्लिस के माध्यम से सदर अंजुमन अहमदिया की तरफ़ आएं।

# जमाअत के उमरा व सदर साहिबान के कर्तव्य और अधिकार

जमाअत में प्यार और मुहब्बत, एकता और भाईचारे का वातावरण (फ़ज़ा) क़ायम करना जमाअत के अमीर/सदर की प्रमुख ज़िम्मेदारी है। जमाअत के उहदेदारों के कामों की निगरानी का निरीक्षण और मार्ग-दर्शन (रहनुमाई) इसके अलावा हर माह एक बार मज्लिस आमील: की मीटिंग बुलाकर मासिक (माहवार) कार्यकुशलता (कारगुज़ारी) का निरीक्षण करना भी अमीर तथा सदर की ज़िम्मेदारी है। अमीर और सदर को ज्ञान होना चाहिए कि जमाअत में कुल सदस्यों की संख्या पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को मिलाकर कितनी है और उनमें से कितने लोग चन्दा देने वाले हैं और कितने चन्दा न देने वाले हैं, रोज़गार वाले कितने हैं और बिना रोज़गार वाले कितने हैं, कितने लोग नमाज़ी और जमाअत के निज़ाम (व्यवस्था) से नियमित रूप से जुड़े हुए हैं। अगर कोई इन मामलों में कमज़ोर है तो उनको इंगित (निशानदही) करते हुए उनको सुधारने की कारवाई की तरफ ध्यान देना ये सब बातें भी अमीर और सदर की ज़िम्मेदारी के तहत आती हैं। दूसरे संबंधित उहदेदारों से इन मामलों में सहयोग लेना आवश्यक है। इस बारे मं निम्नलिखित नियमों को ध्यान में रखा जाए-

**(1) नियम न. (366)** अमीर या सदर, लोकल अमीर या सदर कर्तव्य होगा कि ख़िलाफ़त के प्रतिनिधि (नुमाइन्द:) के तौर पर अपने हल्के के अहमदी लोगों की रूहानी, अख्लाकी, समाजी और

जिस्मानी (शारीरिक) भलाई के लिए यथासंभव प्रयासरत (कोशां) रहे और जमाअत की स्थापना और मज़बूती (क़ियाम और इस्तिहक़ाम) तथा तरक्की के प्रस्ताव सोच कर उन पर अमल करे।

**(2) नियम न. (367)** उमरा (या सदर) चूंकि लोकल जमाअत के आख़िरी ज़िम्मेदार कारकुन (कार्यकर्ता) होते हैं, इसलिए उनको अपने हल्के में नेक नमूना बनने की कोशिश करना आवश्यक होगा और अपने आचरण (रवैये) को ऐसा हमदर्दी, नर्मी और इंसाफ़ से भरपूर रखना होगा कि उनकी आज्ञा का पालन करना लोगों के दिलों में ख़ुद-बख़ुद (स्वयं) प्रेम और सम्मान के रंग में क़ायम हो जाए और मतभेदों की स्थिति में वे किसी पक्ष को पक्षपात करने वाले न समझे जाएं।

**(3) नियम न. (368)** लोकल अमीर/सदर के लिए आवश्यक होगा कि सभी अहम (महत्त्वपूर्ण) मामलों में जमाअत के लोगों का मशवरा प्राप्त किया करे और उसे सामान्यतः (उमूमन) बहुसंख्या की राय का सम्मान करना चाहिए और छोटे-छोटे मतभेदों के कारण बहुसंख्या की राय के विरुद्ध क़दम नहीं उठाना चाहिए बल्कि अमीर या सदर मशवरों के वक्त कार्रवाई को ऐसे रंग में चलाए कि फैसले यथासंभव सर्वसम्मति से तय पाएं।

## अमीर या सदर के अधिकारों और मुक़ाम के बारे में वज़ाहत

**(4) नियम न. (369)** लोकल अमीर और सदर के अधिकार में एक यह अन्तर होगा कि लोकल अमीर लोकल अंजुमन के फ़ैसलों का हर हाल में पाबन्द नहीं होगा अर्थात इस्तिस्नाई हालतों में जमाअत के हित

के अन्तर्गत उसे अपने कारण लिखित रूप में लाकर लोकल अंजुमन के फैसले को अस्वीकार (रद्द) करने का अधिकार होगा, लेकिन सदर बहरहाल लोकल अंजुमन के फैसलों का पाबन्द होगा। परन्तु अमीर/ सदर दोनों ही मर्कज़ के अफसरों के निर्देश (हिदायत) के पाबन्द होंगे।

**(5) नियम न. (370)** मज्लिस आमीलः को किसी दण्डनीय (ताज़ीरी) कार्यवाही का अधिकार नहीं होगा। हाँ अगर कोई जमाअत का मेम्बर जमाअत के निज़ाम (व्यवस्था) की अवज्ञा करता है तो मज्लिस आमिलः को सुधर की कार्रवाई करने का अधिकार होगा। अगर सुधार की कार्रवाई करने में कामयाब न हो सके तो मर्कज़ को रिपोर्ट करे। मज्लिस आमीलः को किसी क़ज़ा की हैसियत में कोई फैसला करने का अधिकार न होगा।

**(6) नियम न. (303)** हर लोकल अंजुमन का कर्तव्य होगा कि मर्कज़ से जब कोई नाज़िर दौरे पर किसी जगह जाए तो ख़लीफ़ातुल मसीह के नुमाइन्दे की हैसियत में उचित सम्मान के साथ ज़रूरी प्रबंध करे।

**(7) नियम न. (305)** अगर किसी जमाअत में किसी विभाग का कोई उहदेदार निर्वाचित न होगा तो उस विभाग (शोबः) के काम की ज़िम्मेदारी सदर/अमीर पर होगी।

# ज़िलई अमारतों और उनकी आमिल: के निर्वाचन के नियम और सय्यिदिना हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस के निर्देश तथा आदेश

हिन्दुस्तान में पहले सूबे की अमारतों का निज़ाम (व्यवस्था) क़ायम था फिर यह ज़ोनल निज़ाम में परिवर्तित हुआ। सन् 2013 ई. से हुज़ूर अन्वर ने ज़िलई निज़ाम क़ायम करने का निर्देश जारी किया और जिस ज़िले में पांच या इस से अधिक जमाअतें मौजूद हों वहां ज़िले की अमारत के निज़ाम को क़ायम करने की मंज़ूरी प्रदान की।

अत: इस वक़्त ख़ुदा के फ़ज़्ल से ज़िले की (113) अमारतें क़ायम हैं।

ज़िले की अमारतों के निर्वाचन (चुनाव) मनोनीत और उनकी आमिल: को मनोनीत करने के लिए जो नियम और आदेश हैं वे निम्नलिखित हैं :-

नियम नं. (296) जायज़ होगा कि एक से अधिक मामलों की लोकल अंजुमन को मिलाकर हल्क़ावार या ज़िला या इलाक़ा या सूबा या मुल्क की अंजुमनों का क्रमानुसार निज़ाम क़ायम किया जाए। इस स्थिति में उनमें से हर निज़ाम अपने से ऊपर वाले निज़ाम के अधीन होगा और ये सारे निज़ाम मर्कज़ के निज़ाम के अधीन होंगे।

नियम नं. (298) हल्क़ावार अमारत का दायरा परिस्थितियों के अनुसार नाज़िर आला निर्धारित करेगा जो कम से कम पांच लोकल अंजुमनों पर आधारित होगा।

(नोट)- जैसा कि ऊपर बयान किया जा चुका है कि हिन्दुस्तान में जिन ज़िलों में पांच या इस से अधिक जमाअतें मौजूद हैं वहां ज़िले की अमारत के निज़ाम को क़ायम करन की हुज़ूर अन्वर ने मंज़ूरी प्रदान की है।

## ज़िलई अमीर के निर्वाचन के नियम

1. ज़िलई अमीर का निर्वाचन ज़िले की सभी जमाअतों के उमरा तथा जमाअतों के सदरों के द्वारा होगा। उस ज़िले के किसी भी जमाअत के व्यक्ति का नाम ज़िलई अमीर के लिए पेश किया जा सकता है बशर्ते कि वह नियमित रूप से चन्दा देने वाला हो और बक़ायादार न हो, अर्थात् नियम नं. (329) की शर्तों को पूरा करता हो।

2. लोकल अमीर / सदर जमाअत स्वयं निर्वाचन (चुनाव) की कार्यवाही में हिस्सा ले तो ठीक है अन्यथा उन का नुमाइन्दः निर्वाचन में शामिल नहीं हो सकता।

3. ज़िलई अमीर के निर्वाचन का कोरम 1/2 से कम न होगा चाहे वह पहला इज्लास हो या दूसरा। अर्थात् अगर (10) जमाअतें हैं तो कम से कम पांच जमाअतों के उमरा और सदरों का निर्वाचन के वक़्त उपस्थित रहना आवश्यक है।

कोशिश होनी चाहिए कि सिवाए अत्यन्त मजबूरी के कोई अमीर/सदर जमाअत अनुपस्थि न रहे।

4. ज़िलई अमीर के लिए कम से कम चार नाम पेश करने आवश्यक हैं।

5. हर मेम्बर को तीन वोट देना अनिवार्य है। हर मेम्बर तीन नाम पेश कर सकता है और तीन समर्थन कर सकता है। अर्थात् (आवश्यकता पड़ने पर एक मेम्बर एक से अधिक नाम पेश कर सकता है तथा एक से अधिक नामों का समर्थन कर सकता है)

6. हर पेश होने वाले नाम का बैअत का साल, तालीमी योग्यता, उम्र, पेशा, जमाअत की पहले की गई सेवाओं को लिखा जाए।

7. हर एक नाम के आगे प्राप्त किए वोटों को तफ़्सील के साथ लिखा जाए।

8. ज़िलई अमीर के निर्वाचन की सदारत (अध्यक्षता) वह करवाए जिसका नाम ज़िलई अमीर के लिए पेश न हो सकता हो या मुरब्बियों से इज्लास की सदारत करवाई जाए।

तथापि नाज़िर आला क़ादियान की तरफ़ से ज़िले के उमरा के निर्वाचन के लिए मर्क़ज़ के नुमाइन्दे नियुक्त करके सूचना दी जाएगी और वही अपनी निगरानी और सदारत में निर्वाचन करवाएंगे।

9. नायब अमीर ज़िला की तक़र्रुरी के संबंध में हुज़ूर अनवर अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ की हिदायत प्राप्त हुई है कि- "भारत में जहाँ जहाँ अमीर ज़िला मुक़र्रर हैं वहां जायज़ा ले कर उनका एक नायब और आवश्यकता अनुसार दो नायब भी मुक़र्रर किए जाने की कारवाई होनी चाहिए।"

(बहवाला WTT- 4856/14-06-2016)

10. ज़िले के उमरा के निर्वाचन और नायब अमीर ज़िला की नामज़दगी की रिपोर्ट हुज़ूर अनवर की ख़िदमत में पेश करके मंज़ूरी/आदेश प्राप्त करके सूचना दी जाएगी।

# ज़िलई मज्लिस-ए-आमिलः के लिए नियम

नियम नं. (360) (अ) ज़िलई अमीर को अधिकार होगा कि अपनी मदद के लिए ज़िले की मज़्लिस-ए-आमिलः बनाकर नज़ारत उलिया से मंज़ूरी प्राप्त करे।

(ब) ज़िले की आमिलः ज़िले के उमरा और उन उहदेदारों पर आधारित होगी जो विभिन्न मर्क़ज़ के विभागों (शोबों) के कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए ज़िला अमीर मनोनीत करेगा और वह अपने शोबे (विभाग) के सेक्रेटरी ज़िला कहलाएंगे।

इसी तरह ज़िले का नाज़िम अन्सारुल्लाह और क़ाइद ज़िला ख़ुद्दामुल अहमदिया और मुरब्बी ज़िला भी इस मज्लिस-ए-आमिलः के मेम्बर होंगे।

(ज) ज़िलई अमीर अपनी आमिलः के लिए केवल ऐसे कार्यकर्ता मनोनीत करेंगे जो नियम नं. 329 के अन्तर्गत वोट देने और उहदा (पद) पाने के योग्य हैं।

(आवश्यक नोट)- जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि सय्यिदिना हुज़ूर अनवर ने क़ादियान में एक "मर्क़ज़ी इन्तिख़ाब कमेटी" नियुक्त की हुई है, ज़िलों के उमरा की तरफ़ से ज़िले की मज्लिस-ए-आमिलः के जो नाम प्रस्तावित (तज्वीज़ः करके भिजवाए जाएंगे उनके बारे में नज़ारत उलिया, नज़ारत बैतुल माल आमद

और नज़ारत उमूरे आम्म: से क्लीयरेन्स प्राप्त करने के बाद "मर्क़ज़ी इन्तिख़ाब कमेटी" में पेश करेगी और "मर्क़ज़ी इन्तिख़ाब कमेटी" ही ज़िले की मज्लिस-ए-आमिल: की मंज़ूरी देगी)

★ ज़िले की मज्लिस-ए-आमिल: के लिए निम्नलिखित तफ़्सील के अनुसार (13) सेक्रेटरियों के नाम लिखे जा रहे हैं :-

अगर ज़िले में जमाअतों की संख्या (10) से कम हो और नामांकन (तज्नीद) भी अधिक न हो तो शुरू के पांच उहदों (पदों) के लिए और बाक़ी आठ में से दो जो वहां की परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक हों कुल (7) उहदों के लिए ज़िले के सेक्रेटरियों के नाम प्रस्तावित करके भिजवाए जाएं। और जिन ज़िलों में जमाअत की संख्या (10) से अधिक है वहां के लिए उन सभी (13) उहदों के लिए ज़िले के सेक्रेटरियों के नाम प्रस्तावित करके भिजवाए जाएं।

उचित है कि हर उहदे के लिए दो-दो नाम प्रस्तावित किए जाएं ताकि 'मर्क़ज़ी इन्तिख़ाब कमेटी' देखकर किसी एक नाम की मंज़ूरी दे सके।

1. ज़िलई सेक्रेटरी इस्लाह-व-इर्शाद
2. ज़िलई सेक्रेटरी दावत इलल्लाह
3. ज़िलई सेक्रेटरी तालीमुल क़ुर्आन वक़्फ़ आरिज़ी
4. ज़िलई सेक्रेटरी इशाअत तथा एम.टी.ए.
5. ज़िलई सेक्रेटरी माल
6. ज़िलई सेक्रेटरी तालीम (शिक्षा)
7. ज़िलई सेक्रेटरी वक़्फे नौ

8. ज़िलई सेक्रेटरी उमूरे आम्मः व ख़ारिजः
9. ज़िलई सेक्रेटरी वसीयत
10. ज़िलई सेक्रेटरी जायदाद
11. ज़िलई सेक्रेटरी तहरीक जदीद
12. ज़िलई सेक्रेटरी वक़्फ़े जदीद
13. ज़िलई सेक्रेटरी रिश्ता नाता